न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः— 212/2016

दाताराम पुत्र सुरजाराम जाति गुर्जर निवासी रोयल तहसील खण्डेला जिला सीकर

वादी

बनाम

गोपाल पुत्र श्योलालदास जाति दादूपंथी स्वामी निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी हाल आबाद पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

प्रतिवादी

दावा घोषणार्थ अ0 धारा 88 रा0 का0 अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 10.10.17

वादीगण ने जरिये वकील वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम इन्द्रपुरा में भूमि खसरा नम्बर 482, 544 रकबा कमशः 0.09 है0, 1.34 है0 किता 2 कुल रकबा 1.43 है0 स्थित है। जिसे आगे विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। विवादित भूमि के हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार गोपाल मुकेश मनोज पुत्रगण श्योलालदास एवं सोनू पुत्र श्योलालदास जाति दादूपंथी स्वामी रहे हैं। उक्त खातेदारान ने विवादित भूमि में से अपना 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण का कय दिनेश कुमार गुर्जर पुत्र रूघाराम गुर्जर निवासी गोरिया तन धनावता को प्रतिफल दो लाख रूपये प्राप्त कर विक्रय कर दिया, जिसका विक्रय पत्र कमांक 1315 उप पंजियक उदयपुरवाटी में दिनांक 15.4.2014 को पंजीबद्ध करवा दिया। विक्रयपत्र निष्पादन के बाद केता एवं विकेता के मध्य विवाद हो गया तथा प्रतिवादी 1 ने केता दिनेश को कब्जा नहीं दिया। प्रतिवादी ने. 1 ने अपने द्वारा लिया गया प्रतिफल वास लौटाकर अपनी जमीन को वापस लेना चाही तो उक्त केता दिनेश कुमान ने भी उक्त भूमि को विक्रय करने का निर्णय लिया जिसके अनुकम में विादित भूमि के हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 3/4 (अर्थात सम्पूण विवादित भूमि में हिस्सा 3/8) को वादी को विक्रय कर दिया जिसका विक्रय पत्र कमांक 2540 दिनांक 18.7.2014 को वादी के पक्ष में निष्पादित करवा दिया तथा शेष हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/4 (अर्थात सम्पूर्ण भूमि में से हिस्सा 1/8) को प्रतिवादी नं. 1 को विक्रय कर दिया जिसका विक्रय पत्र कमांक 2539 दिनांक 18.7.2014 को निष्पादित करवा दिया। इस प्रकार वर्तमान में विवादित भूमि में हिस्सा 3/8 के खातेदार वादी एवं हिस्सा 1/8 का खातेदार प्रतिवादी नं. 1 है। जिसकी घोषणा करवाने के लिए यह वाद पेश किया गया है।

वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादन के बाद दिनांक 20.3.2015 को वादी ने नामान्तरकरण भरने के लिए पटवारी हलका से निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपको विक्रय कर्ता के नाम से नामान्तरकरण नहीं भरा गया है। इस कारण नामान्तरकरण नहीं भरा जा सकता है। अंत में निवेदन किया है कि विवादित भूमि वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 482, 544 रकबा कमशः 0.09 है0, 1.34 है0 किता 2 कुल रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम इन्द्रपुरा में हिस्सा 3/8 का खातेदार वादी को एवं शेष 1/8 हिस्सा के खातेदार प्रतिवादी नं. 1 को घोषित किया जावे तद्नुसार रेकार्ड दुरूस्त करने के लिए प्रतिवादी नं. 2 को आदेशित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25.5.2016 को निर्णय किया चुका है तथा वादी का वादपत्र साबित नहीं होने के कारण खारिज किया गया है। इस पर वादी दाताराम द्वारा दिनांक 24.6.2016 को प्रार्थना पत्र बाबत पुर्नवलोकन का प्रस्तुत किया गया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रवली इस आदेश के साथ पुनः दर्ज की गई कि विवादित भूमि के कब्जा काश्त के संबंध में तहसीलदार उदयपुरवाटी से रिपोर्ट ली जावे। पत्र कमांक भू. अ./16/1164 दिनांक 10.8.2016 के जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी की रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 482, 544 राजस्व रिकार्ड में गोपाल, मुकेश, मनोज पि0 श्योलालदास हि0 1/2 बलदेवा मामराज शिशपाल पि0 रूघनाथदास, मूली पत्नि रूघनाथदास सा0 हि0 1/2 राहिन शिशपाल पि0 रूघनाथ दर हिस्सा 1/8 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया दर्ज है। मौके पर उपस्थित भींवाराम पुत्र मांगूराम गुजर ने बताया कि खसरा नम्बर 544 का 1/2 हिस्सा में काश्त बलदेवा मामराज शिशपाल पि0 रूघनाथ दास, मूली पत्नि स्व. रूघनाथदास द्वारा की गई है तथा हिस्सा 1/2 पड़त है। केतागणों ने विक्रय पत्र के अनुसार ही कब्जा बताया है।

बहस दावा अन्तिम श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा क्रय शुदा भूमि पर वादी का कब्जा काश्त होने का कथन किया तथा निवेदन किया कि विक्रय पत्र व कब्जा काश्त के आधार पर विवादित भूमि वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 482, 544 रकबा क्रमशः 0.09 है0, 1.34 है0 किता 2 कुल रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम इन्द्रपुरा में हिस्सा 3/8 का खातेदार वादी को एवं शेष 1/8 हिस्सा के खातेदार प्रतिवादी नं. 1 को घोषित किया जावे तद्नुसार रेकार्ड दुरूस्त करने के लिए प्रतिवादी नं. 2 को आदेशित किया जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जबाबदावा प्रतिवादी नं. 2 के अनुसार ''वादी द्वारा केता दिनेश कुमार गुर्जर से भूमि क्रय किया जाना अंकित किया है। केता दिनेश कुमार गुर्जर उक्त वर्णित भूमि का कभी भी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं रहा है। दिनेश कुमार गुर्जर को बिना किसी विधिक अधिकार के विवादित भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वादी प्रस्तुत वादपत्र के जरिये किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।'' वादपत्र में अंकित ग्राम इन्द्रपुरा के भूमि खसरा नम्बर 482, 544 रकबा क्रमशः 0.09 है0, 1.34 है0 किता 2 कुल रकबा 1.43 है0 की खातेदारी गोपाल मनोज मुकेश पि0 श्योलालदास, सोनु पुत्री श्योलालदास हिस्सा 1/2, बलदेवा मामराज शिशपाल पि0 रघुनाथदास, मूली पत्नि स्व. रघुनाथदास हिस्सा 1/2 जाति स्वामी दादूपंथी के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी ने उक्त वर्णित भूमि में से हिस्सा 3/8 की भूमि दिनेश कुमार गुर्जर से क्रय किया जाना अंकित किया है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार दिनेश कुमार गुर्जर उक्त वर्णित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं रहा है। इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा से होती है। प्रकरण में पुर्नवालोकन के पश्चात प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार उदयपुरवाटी से भी इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि उक्त वर्णित भूमि पर कौन कब्जा काश्त है। दिनेश कुमार गुर्जर द्वारा बिना विधिक टाईटल के भूमि वादी को विक्रय की है, जिसका उनको कोई विधिक अधिकार नहीं था। इसलिए दस्तावेज विक्रयपत्र का विधिक औचित्य नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

उक्त विवेचन से वादी प्रस्तुत वादपत्र के जरिये किसी प्रकार अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार उदयपुरवाटी दिनांक 10.8.2016 के अनुसार वादी का वादपत्र साबित नहीं होने तथा आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वादी का वादपत्र साबित नहीं होने तथा आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 10.10.17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner